न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा जिला झालावाड़

मिसल नम्बर	किस्म मुकदमा	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तारीख दाखिल द.	तादाद किता
72	दावा	11/6/08			

उनवान

इन्द्रमल मुथा उर्फ इन्द्रमल पुत्र [illegible] महाजन निवासी अकलेरा

बनाम

(1) ऋषभचन्द पुत्र पानाचन्द जैन अकलेरा
(2) [illegible] पुत्र [illegible] मीणा निवासी [illegible]
(3) ....

धारा..88, 89, 91, 188, 183 [illegible]

वकील वादी श्री....D.S.C.......   वकील प्रतिवादी श्री..[illegible]

पार्ट	किता	कोर्ट फीस
....	....	....

17/6/08

अ

ब

स

द

योग :-

हस्ताक्षर रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा।

वादी / वकील श्री 286 द्वारा प्रस्तुत किया।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. प्रतिवादी [illegible] पता अंकित है।
5. [illegible] एवं पर्याप्त वाद की प्रतियां [illegible] है।
6. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
7. वाद पत्र [illegible] आवश्यक राजस्व रेकार्ड [illegible] / नोट पत्र है।

[signature] 11/6/08
हस्ताक्षर लिपिक

दिनांक 11/6/08 वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पक्ष को [illegible] तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12/6/08 को पेश हों।

[signature]
उप खण्ड अधिकारी,
अकलेरा

17/6/08 - वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। नं. 3 की तामील नहीं हुई। तलबाना पेश करें [illegible]। प्रतिवादी नं. 4 [illegible] कहने कि उनके [illegible] [illegible] [illegible] / पत्रावली वास्ते तलबी नं. 3 दिनांक 25/6/08 को पेश हो। [signature]

25/6/08 - अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी नं. 3 की तामील नहीं हुई। सही पते का तलबाना पेश करने पर जारी हो वास्ते तलबी एवं जवाब दिनांक 30/6/08 को पेश हो। [signature]

30/6/08 पी.ओ. दिनांक 8/7/08 को पेश हो [signature]

15/5/24 पत्रावली पेश हुई वकील फरीकैन उपस्थित बकाया बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28/5/24 पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड़)

दिनांक 28.05.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11(डी) एवं धारा 151 जा0दी0 मे प्रार्थी वकील प्रतिवादी ऋषभचंद का कथन है कि वादी द्वारा ग्राम थरोल तहसील अकलेरा के माल में नई खतोनी संख्या 18 की खसरा नम्बर 254 की 1–04 बीघा आराजी को अपने खाते दर्ज किये जाने हेतु वाद पेश किया है। जिसमें निम्न आधार बताये है।

अ– यह कि प्रेमबिहारी ने खसरा नम्बर 254 की 2–08 बीघा आराजी को बैचने का इकरार दिनांक 25.05.1996 को 55,0000रू0 किया था तथा 30,000 रू0 प्राप्त कर एक इकरार नामा वादी के पक्ष में टाईप करा कर अपने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करा कर निष्पादित किया था तथा कब्जा भी वादी को सम्भला दिया था तथा मदन मोहन जो प्रेम बिहारी का सगा भाई है उसके हिस्से की रजि0 करवाने की जिम्मेदारी भी मुताबिक इकरार नामा प्रेम बिहारी ने ली थी।

ब– यह कि प्रेम बिहारी ने उसके हिस्से की रजिस्ट्री खसरा नम्बर 254 की 2–08 बीघा के 1/2 हिस्से का बेचान पत्र वादी के नाम दिनांक 15–06–1996 को करा दिया था।

स– यह कि वादी ने प्रेम बिहारी एवं मदन मोहन से शेष बची आराजी की रजिस्ट्री कराने के बारे में कई बार कहा परन्तु प्रेम बिहारी एवं मदन मोहन टालम टूल करते चले आ रहे हैं।

द– यह कि वादी का कब्जा खसरा नम्बर 254 की 2–08 बीघा सम्पूर्ण पर 12 वर्ष से अधिक समय से बईल्म मदन मोहन चला आ रहा है और मदनमोहन ने कब्जा प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नही की तथा कब्जा मुखलफाना के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गया है।

2– यह कि इस आधार पर वादी अपना वाद इकरारनामा (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर एवं एडवर्सपजेशन के आधार पर खसरा नम्बर 254 की 1–04 बीघा आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने के लिए वाद पेश किया है। उक्त उपरोक्त दोनों ही आधारो पर वाद विधि द्वारा निम्न कारणों से वर्जित है।

अ– यह कि इकरारनामा (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर वाद सुनने का अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही है। (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। इस सम्बंध में राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–5(6) राजस्थान 6/92/11 दिनांक 05.04.2006 द्वारा सभी अधिनस्थ राजस्व न्यायालयों को भेजा गया था एवं राजस्व मण्डल द्वारा भी इस सम्बन्ध में कई निर्णय परित किये गये है।

ब– यह कि एडवर्सपजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है एवं सह खातेदारान के बीच एडवर्सपजेशन का सिद्धांत भी कानूनन लागू नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आधारों पर पर वादी द्वारा प्रस्तुत ... विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट किये जाने की कृपा करें।

वकील वादी इन्द्रलाल द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि प्रार्थना पत्र काफी देरी से पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दिनांक 08.12.2018 को न्यायालय हाजा में पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व खारिज हो चुका हैं। अतः पुनः दुबारा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। पत्रावली वास्ते शाहदत वादी में चल रही है तनकीहात बनाई जा चुकी है। अतः अब इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि वादी ने अपने वाद में स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करने तथा बैचान पत्र दिनांक 22.05.2008 जो ऋभचन्द के पक्ष में किया गया है जिसमें विशिष्ट दिशा की आराजी का बैचान किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध होने से अवैध हैं ऐसे बैचान से क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त वाद मे वादी पूर्व से ही 1/2 हिस्से को रेकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है ओर प्रतिवादी क्रेता ऋषभचन्द अजनबी क्रेता हैं उसके तथा बरदा के विरूद्ध उक्त आराजी पर कब्जा न करने बाबत निषधाज्ञा भी चाहा हैं उक्त अनुतोष आदेश 7 नियत 11 के अन्तर्गत किसी प्रकार भी चलने योग्य नहीं है। वाद में प्रतिवादी मदन मोहन द्वारा ऋषभचन्द के पक्ष में बिना विभाजन कराये विशिष्ट पूर्व दिशा की आराजी का बेचान करने के संबंध में अपने बैचान पत्र में वर्णन किया है जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्ध है और इस तरह के वाद सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। यह कि एग्रीमेंट टू सेल तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार द्वारा वाद पेश करना आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वर्जनिय नहीं है। यह कि आराजी मुतनाजा के संबंध में वादी द्वारा 212 के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने राजस्व मण्डल अजमेर में में अपील पेश कर रखी है। यह कि वर्तमान वाद में जवाब दावा पेश हो चुका है। तनकीहात बनायी जा चुकी है और मिसल शाहदत वादी में चल रही है अतः इस प्रकार पेश किये गये प्रार्थना पत्र का निर्धारण शाहदत के बाद ही किये जाना न्यायोचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी हस्ब आदेश 7 नियम 11 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

वकील उभयपक्षकारान की बहस व रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि वाद इकरारनामा (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर एवं एडवर्सपजेशन के आधार पर खसरा नम्बर 254 की 1–04 बीघा आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने के लिए पेश किया है। इकरारनामा (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। (एग्रीमेन्ट टू सेल) के आधार पर सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–5(6) राजस्थान 6/92/11 दिनांक 05.04.2006 से स्पष्ट है। प्रकरण अपंजीकृत इकरार नामा से संबंधित है अपंजीकृत विक्रय पत्र अथवा एडवर्स पजेशन के आधार पर दायर वाद विधिक प्रकिया का दुरूपयोग है इस संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 2017 पेज 297 उचित प्रतीत होता है। मूल वाद शाहदत वादी मे चल रहा है उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी स्टेज पर लगाया जा सकता है इस संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे 2012 पेज 734 उचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11(डी) एवं धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दप्तर होकर नम्बर से कम हो।

(राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी अकलेरा